उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–10/2022–23

सरकार

बनाम्

घनश्याम कु0 यादव वगै0

—: आदेश :—

दिनांक 12/10/22

विपक्षी संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 एवं 12 की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला मेहरमा थाना काण्ड संख्या–26/2022 दिनांक–09.03.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने अपने पत्रांक–1176/अप0शा0 दिनांक–23.03.2023 से धारा–414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के तहत कांड में जप्त 1. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17X-9153, 2. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17V-4873, 3. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17X-3487, 4. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17V-3997, 5. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17R-0728, 6. हिरो मोटरसाईकिल निवंधन संख्या–JH17M-3106, 7. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17V-6660, 8. हिरो पैशन प्रो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17B-3384, 9. हिरो ग्लेमर मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH18B-7529, 10. मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH18F-9948, 11. टी0भी0एस0 मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–BR10AE-6445 एवं 12. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–BR10AJ2953 तथा उस पर लदे कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी स0अ0नि0, ललमटिया के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17X-9153, 2. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17V-4873, 3. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17X-3487, 4. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17V-3997, 5. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17R-0728, 6. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17M-3106, 7. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17V-

6660, 8. हिरो पैशन प्रो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17B-3384, 9. हिरो ग्लेमर मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH18B-7529, 10. मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH18F-9948, 11. टी0भी0एस0 मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–BR10AE-6445 एवं 12. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–BR10AJ2953, के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से कोयला की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–414/34 भा0द0वि0, खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 एवं 30(ii) कोल माईन्स एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या–JH17X-9153, 2. हिरो मोटरसाईकिल निबंधन संख्या

विरुद्ध सत्य पाया गया है। यह स्पष्ट है कि जप्त वाहन का उपयोग कोयला के अवैध परिवहन के लिए किया जा रहा था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त 1. मोटरसाईकिल निबंधन संख्या अंकित नहीं, (चेचिस नं0—MD2A15BZX-RK5249, ईंजन नं0—JZZRF-J-69869) एवं उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, ललमटिया को दें। अन्य एक विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। उन्हें कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए अंतिम नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक–10/11/23 को उपस्थापित करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, गोड्डा। 10/10/23

उपायुक्त, गोड्डा। 10/10/23

समाहरणालय, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

ज्ञा0 सं0:- 178   दि: 30.10.2023

प्रतिलिपि:- थाना प्रभारी ललमटिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला खनन पदा0, गोड्डा/जिला परिवहन पदा0, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा को सूचनार्थ समर्पित।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.05 12:45:36 +05:30
Location: 192.168.1.37

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा
30/10/23